फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

सीमा व अन्य ..... बनाम भंवरनाथ व अन्य .....

किस्म मुकदमा 88,53,,88 मुकदमा नम्बर 143/2012.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.1.2020	पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित । वकिल वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, सपठित नियम 9 जा.दी एवं धारा 5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रतिवादी अभिभषक ने प्राप्त की जिस पर उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, सपठित नियम 9 जा.दी एवं धारा 5 मयाद अधिनियम पर सुना गया । वादी/प्रार्थी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 शंकर पुत्र हजारीनाथ का स्वर्गवास दिनांक 31.8.2014 को हो चुका है जिनके वारिसान चाउ पत्नी स्व. श्री शंकर, मालानाथ पुत्र स्व0 श्री शंकर, सम्पतनाथ पुत्र स्व0 श्री शंकर, सुखदेव पुत्र स्व0 श्री शंकर है। शंकर पुत्र हजारीनाथ की मृत्यु की जानकारी कभी भी वादीगण को नही थी । दिनांक 10.1.2020 जब वादीया अपनी माता के साथ अभिभाषक के कार्यालय में आई और वाद की जानकारी प्राप्त की तो अभिभाषक के पूछने पर वाद पत्र में वर्णित पक्षकारों के जीवित अथवा मृत होने की जानकारी करने पर पता चला कि शंकर पुत्र हजारीनाथ का स्वर्गवास हो चुका है जिस पर उनके वारिसानों की जानकारी प्राप्त की गई और दिनांक 25.1.2020 को अभिभाषक के कार्यालय में वारिसान की सूची प्रदान की गई । इससे पूर्व उपरोक्त मृतक की कोई जानकारी वादीया को नही थी । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में लगा समय सद्भाविक है और मृतक के वारिसान की कार्यवाही जानकारी प्राप्त होने से अन्दर मयाद की जा रही है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे लगे समय को क्षमा उपरोक्त विलम्ब को माफ करते हुए वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वर्तमान वाद वादीगण के द्वारा बटवारा प्रस्तुत किया गया जो अबेट नही होता है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित नियम 9 जा.दी. एवं धारा 5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत कर मृतक प्रतिवादी संख्या 2 शंकर पुत्र हजारीनाथ के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे ।	

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2020.02.04 10:47:10 IST
Reason: SelfAttested